RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 19/2025

प्रार्थी– **बनाम** **अप्रार्थीगण–**

1. श्री अचलाराम पुत्र मोडाराम, जाति कलबी, निवासी सड़ा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

1. श्री ग्राम पंचायत सड़ा जरिए संरपच पंचायत समिति पायला कला तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
2. श्रीमती लीलादेवी पत्नी गेनाराम जाति कलबी, निवासी सडा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 38 दिनांक 07.01.2025 जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत सड़ा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :26.08.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लीलादेवी पत्नी गेनाराम के नाम जारी पट्टा संख्या **38** दिनांक 07.01.2025 के विरूद्ध दिनांक 11.06.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(क) के तहत मौजा सड़ा में पट्टा संख्या **38** दिनांक 07.01.2025 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 294.44 वर्ग गज दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 100 फीट कोजीदेवी/सुजाराम, बदिशा दक्षिण 100 फीट व श्री गेनाराम पुत्र सुजाराम, पूर्व में 26.6 फीट व सूजाराम पुत्र मोडाराम तथा पश्चिम में 26.6 फीट व आम रास्ता आया हुआ है। उक्त पट्टे को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड पैतृक है। अप्रार्थी को सड़क के पास की भुमि का विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के सम्पूर्ण नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया। उक्त आलोच्य पट्टे को उप पंजीयक सिणधरी द्वारा पंजीकृत करवाया गया है। पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। जिस स्थान का पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया, उस स्थान पर कभी भी प्रार्थी या अन्य किसी का कब्जा नहीं रहा। प्रार्थी येन–केन प्रकारेण उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड को हड़प करने का चाहता है, जबकि ऐसा करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। नक्शा किसने बनाया, उक्त बिन्दू एक तकनीकी बिन्दू है, उसके आधार पर सक्षम संस्था द्वारा नियमानुसार जारी पटटे को निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी को अप्रार्थी के नाम जारी पटटों की पूर्ण जानकारी शुरू से थी व है, अब येन–केन प्रकारेण मुख्य सड़क पर लगते भाग को अकेला प्रार्थी चाहता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचातय के द्वारा नियमानुसार राजस्थान पंचायतीराज के अधिनियम के सम्पूर्ण नियमों की पूर्ण पालना कर नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर, मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के नाम पट्टे जारी किये गये तथा बाद विधिक प्रक्रिया ऐसे पटट्टे संबंधित उप पंजीयक से पंजीबद्ध भी करवाये गये। अतः अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी मौजा सडा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा का मूल व स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी के 50 वर्ष पुराने पैतृक स्वामित्व व आधिपत्य का कब्जासुदा पैतृक व पुश्तैनी भूखण्ड मौजा सडा की आबादी भूमि में आया हुआ है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का लगातार पैतृक व पुश्तैनी कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है, जो भूखण्ड प्रार्थी का कब्जासुदा व स्वामित्वसुदा भूखण्ड है। उक्त भूखण्ड के चारों तरफ चीणे लगाकर अन्दर पक्का मकान प्रार्थी द्वारा बनाया हुआ है, जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी व उसके परिवार वालों द्वारा किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियम 157 (1) के तहत जारी पट्टे में वर्णित शर्त अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि किसी परिसर पर व्यक्ति विशेष का अस्थायी मकान/कच्चे मकान से संनिर्माण के रूप में आबादी भूमि पर विगत 50 वर्षों का पुराना कब्जा होना आवश्यक है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का आलोच्य भूखण्ड के परिसर पर कोई कब्जा आज दिन तक नहीं रहा है तथा न ही पट्टासुदा स्थल में अप्रार्थी संख्या 2 के अस्थायी मकान/कच्चे मकान बने हुऐ है। उक्त आलोच्य पट्टो में 50 वर्षों पुराना कब्जा होना बताया गया है, जबकि ज्यादा पट्टाधारको की उम्र ही 35–40 वर्षो से कम है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी 1 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) की अनदेखी कर आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा में वर्णित शर्त संख्या 1 "पूर्वोक्त आंवटिती का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है/पंचायत आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले पचास वर्षों के दौरान संनिर्मित किया गया है। आवंटिती ने एक

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

सो/दौ सौ रूप्ये की फीस निक्षिपत कर दी है", की पालना नहीं गई है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलीभगत कर कुटरचित तरीके से व फर्जी तरीके से उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 33 से 38 एक ही दिन दिनांक 07.01.2025 को तैयार करवाये गये है तथा एक ही दिन दिनांक 16.04.2025 को पंजीबद्ध करवाये गये है। इसके अलावा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा के प्रत्रांक 1925 दिनाक 15.07.2025 की अनुपालना में कार्यालय पंचायत समिति पायला कला के पंत्राक 634 दिनांक 23.06.2025 से तलब की गई मौका रिपोर्ट में उक्त आलोच्य पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के विरूद्ध जारी किया गया, होना बताया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जो आवेदन दिया है उसके साथ जो नक्शा बनाया है वह नक्शा किसने बनाया है इस बाबत कोई हवाला नहीं है। स्वयं ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी करने से पूर्व आम रास्तों, नालियों आदि की स्थिति बाबत कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है एवं कोई नक्शा भी नहीं बनाया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी प्रकार का सार्वजनिक सूचना या नोटिस वादग्रस्त भूखण्ड, चौराहे आदि पर चस्पा नहीं किया गया है तथा मात्र कागजी कार्यवाही करते हुऐ आलोच्य मट्टा जारी किया गया। यदि वास्तव में वादग्रस्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का नोटिस चस्पा किया होता या मौके का निरीक्षण किया जाता तो कोई व्यक्ति अवश्य मौके पर आता परन्तु मौके पर कोई नहीं आया। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक में अंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्ररूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु नोटिस प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चरपा करनी थी मगर उक्त प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 के परिवार के छः सदस्यों पिता, पुत्र, पुत्रवधुओं के नाम से एक ही दिन में अलग अलग कुल छः पट्टे जारी करवाये गये है जो मिसल संख्या 100 से 105 के जरिये एक ही दिन दिनांक 20.11.2024 को पत्रावली पेश की गई है तथा सभी पट्टे एक ही नाप 100 गुणा 26.6 वर्गफीट के जारी किये गये है। इस प्रकार एक ही परिवार के नाम से 600 गुणा 26.6 बहुत बड़े भू-भाग का एक ही दिन पट्टे जारी करवाकर ग्राम पंचायत सहित प्रार्थी की भूमि को हडप कर लिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, उसमें राज, पंचायती राज नियम 1996 के सम्पूर्ण नियमों की भारी अनदेखी की गई है एवं किसी भी नियम की पूर्ण पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, जो उक्त पट्टे को अपास्त करने का आदेश फरमावे।

6. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड पैतृक है। प्रार्थी अप्रार्थी लीलादेवी के काका ससूर है। अप्रार्थी को सड़क के पास की भुमि का विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के सम्पूर्ण नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया। उक्त आलोच्य पटटे को उप पंजीयक सिणधरी द्वारा पंजीकृत करवाया गया है। पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। विकास अधिकारी से प्राप्त मौका रिपोर्ट इस न्यायालय द्वारा तलब नहीं की गई है। इसलिए उक्त मौका रिपोर्ट का उक्त पट्टे से कोई संबंध नहीं है। जिस स्थान का पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया, उस स्थान पर कभी भी प्रार्थी या अन्य किसी का कब्जा नहीं रहा। आबादी गांव सड़ा आबादी भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा था, और उसके जुड़ता ही प्रार्थी का भी कब्जा अप्रार्थी सुजाराम का पैतृक भूखण्ड अधिक क्षेत्र का होने पर उनके परिवार वालो के

न्यायालय जिला कलक्टर (एवं जिला मजिस्ट्रेट) बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

...फुस खा माडपुरा।
...ी पुखाराम भील खार...
...ी सुजाराम खार...
...न केस...

सदस्यों का पट्टा जारी करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 का जिस स्थान पर कब्जा है, उस स्थान का पटटा अप्रार्थी संख्या 2 एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अलग–अलग नाप पड़ौस के प्राप्त किया, जिससे प्रार्थी के कोई अधिकार प्रभावित नहीं होते है। उक्त भूखण्डे के पास में सड़ा झुण्ड जाने वाली मुख्य सड़क आयी हुई है, जिस पर करीब 57 मीटर भाग प्रार्थी के कब्जे का है तथा उसके बाद 63 मीटर अप्रार्थी संख्या 2 व उनके परिवार के कब्जे का भूखण्ड है, उसके बाद आगे 6 मीटर और प्रार्थी अचलाराम व उसके परिवार का भूखण्ड है। प्रार्थी येन–केन प्रकारेण उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड को हड़प करने का चाहता है, जबकि ऐसा करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी का जहां मकान बना हुआ है एवं छीणों के टूकड़ें रोपे हुए है उस स्थान या जगह के पट्टे अप्रार्थी के नाम न तो बनाये गये न जारी हुए। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी तौर से पंचायतीराज अधिनियम के नियमों की अनदेखी नहीं की गई, बल्कि सही व उचित तरीके से बाद विधिक प्रक्रिया के पटटे जारी किये गये। ग्राम पंचायत में दिनांक 20.11.2024 को आम साधारण बैठक में पटटे के आवेदन आबादी भूमि के प्राप्ति हेतु पेश किये जिसका विवरण प्रस्ताव संख्या 4 ग्राम पंचायत सड़ा में दर्ज है। उसके बाद नियमानुसार नियम 146 के तहत मौका कमेटी का गठन किया, मौका कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत में नियमानुसार मौका निरीक्षण कर प्रस्तुत की, ताबाद नियम 148 के तहत आपत्तियां 30 दिनों की समयावधि के लिये आमंत्रित की गई, उसका विवरण ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.12.2024 के प्रस्ताव संख्या 4 में उल्लेखित है। उक्त आपत्तियां आमंत्रित करने की समयावधि दिनांक 06.01.2025 को पूर्ण हुई, उक्त समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से दिनांक 07.01.2025 को ग्राम पंचायत की साधारण बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 के जरिये वर्तमान पटटे जारी किये गये। मौके पर अस्थायी छप्पर, कच्चा मकान अप्रार्थी का बना हुआ है। नक्शा किसने बनाया, उक्त बिन्दू एक तकनीकी बिन्दू है, उसके आधार पर सक्षम संस्था द्वारा नियमानुसार जारी पटटे को निरस्त नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी पटटाधारक एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम अलग–अलग परिवार का निवास होने, परिवार राशन कार्ड, कब्जा होने से पत्रावलियां प्रस्तुत की गई, क्योंकि उक्त सम्पति उनके पुराने कब्जे की थी। प्रार्थी को अप्रार्थी के नाम जारी पटटों की पूर्ण जानकारी शुरू से थी व है, अब येन–केन प्रकारेण मुख्य सड़क पर लगते भाग को अकेला प्रार्थी चाहता है. इसलिये वर्तमान निगरानी निराधार तथ्यों की मात्र तंग परेशान करने की बदनियतीपूर्वक पेश की है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचातय के द्वारा नियमानुसार राजस्थान पंचायतीराज के अधिनियम के सम्पूर्ण नियमों की पूर्ण पालना कर नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर, मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के नाम पट्टे जारी किये गये तथा बाद विधिक प्रक्रिया ऐसे पटट्े संबंधित उप पंजीयक से पंजीबद्ध भी करवाये गये। अतः अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

7. हमने पत्रावली में प्रार्थीगण के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत सड़ा द्वारा मिसल संख्या 105 पर पंचायत की बैठक में फैसल दिनांक 07.01.2025 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. **38** दिनांक 07.01.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या **38** नियम 157(1) के तहत जारी किया गया

न्यायालय जिला कलक्टर (राजस्व) बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत सड़ा की ओर से जारी आलौच्य पट्टा के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सड़ा की ओर से प्रस्तुत आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली की अवलोकन से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन पत्र पर निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए पट्टा जारी किया गया हैं किन्तु अप्रार्थी सं. 2 का विवादित भूखण्ड पर 50 वर्षों से निरन्तर कब्जा होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर मौजूद नहीं है और नही स्वामित्व पुष्टि हेतु साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उक्त भूमि कितने वर्षों से कब्जा है, का अंकन नहीं किया गया तथा इस संबंध में कोई स्वामित्व की पुष्टि हेतु साक्ष्य सलंग्न नहीं पाया गया है। इसके अलावा अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा एक ही परिवार के सदस्यों के एक दिन पट्टे संख्या 33, 34, 35, 36, 37, 38 जारी करना एवं अप्रार्थी की उम्र ही 50 वर्ष से कम होने के बाद भी आलोच्य पट्टा जारी करना संदिग्ध प्रतीत होता है। इसके अलावा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा के प्रत्रांक 1925 दिनाक 15.07.2025 की अनुपालना में कार्यालय पंचायत समिति पायला कला के पंत्राक 634 दिनांक 23.06.2025 से तलब की गई मौका रिपोर्ट में उक्त आलोच्य पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के विरूद्ध जारी किया गया, होना बताया गया है। ऐसे मे ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी करने से पूर्व उसके स्वामित्व सम्बन्धी कोई जांच नहीं की गई है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत प्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत सड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 38 दिनांक 07.01.2025 निरस्त करते हुए प्रकरण विकास अधिकारी, पायला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के स्वामित्व एवं कब्जा दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करते हुए एवं उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम मे विहित प्रावधानो के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बालोतरा

14.

कील व

पाबुर